

शिक्षा विभाग

कार्यालय: जिला शिक्षा पदाधिकारी, शेखपुरा

आवश्यक सूचना

अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का समूह "घ" के पदों पर नियुक्ति हेतु कमिटी द्वारा लिये गये निर्णयानुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वांछित आवश्यक अभिलेख 15 दिनों के अंदर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्रम सं०	वरीयता क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	कोटि	वांछित आवश्यक अभिलेख
01	06	अश्वनी कुमार	छोटन सिंह	जिला-शेखपुरा	GEN	प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी द्वारा शपथ पत्र, तीन वर्षों तक अनुदेशक के रूप में कार्य करने का प्रमाण-पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का साक्ष्य
02	07	रामानन्द पाण्डेय	सुखदेव पाण्डेय	जिला-शेखपुरा	GEN	प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी द्वारा शपथ पत्र
03	13	रतन कुमारी	युगेश्वर पासवान	जिला-नालन्दा	SC	तीन वर्षों तक अनुदेशक के रूप में कार्य करने का भुगतान से संबंधित साक्ष्य
04	23	बिनोद कुमार सिंह	विरेन्द्र नारायण सिंह	जिला-समस्तीपुर	GEN	तीन वर्षों तक अनुदेशक के रूप में कार्य करने का साक्ष्य, अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची
05	25	सुनील कुमार सिंह	सच्चिदानन्द सिंह	जिला-समस्तीपुर	GEN	तीन वर्षों तक अनुदेशक के रूप में कार्य करने का साक्ष्य, एवं अनुभव प्रमाण-पत्र
06	16	नवल किशोर सिंह	रामसेवक सिंह	दरभंगा	GEN	विभागीय पत्रांक 1279 दिनांक 12.06.2018 के आलोक में सभी अभिलेख
07	20	इन्दु कुमारी	रविन्द्र सिंह	शेखपुरा	GEN	तथैव
08	33	जयमाला कुमारी	मुन्ना कु० सिंह	गोपालगंज	GEN	तथैव
09	34	कमलावती देवी	सुनील कुमार	गोपालगंज	GEN	तथैव

उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि कमिटी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर वांछित आवश्यक अभिलेख आपके द्वारा कार्यालय को उपलब्ध का नहीं कराया जाता है तो आपकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही कमिटी को दोषी नहीं समझा जायेगा।

24/11/18
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
शेखपुरा।

XXXX: आईटी एक्ट 2000 एवम आधार एक्ट 2016 के अनुपालन के अनुसार पूरा पता को सेंसर किया गया है / According to the compliance of the IT Act 2000 and the Basic Act 2016, the complete address has been censored